

## सातवीं अनुसूची

(धारा 139 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में, उपशीर्ष सं० 5207.20, 5208.20, 5209.10, 5406.10, 5407.10, 5511.10, 5512.10, 5513.10, 5514.10, 5801.21, 5801.31, 5802.21, 5802.31, 6002.10 और 6002.20, में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की

5 प्रविष्टियों के स्थान पर “8%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;